न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2019

बउनवान

1. रामपाल पुत्र श्री भैरूलाल
2. जानकीलाल पुत्र श्री भैरूलाल
3. रमेशचंद पुत्र श्री चन्दालाल
4. श्याम मुरारी पुत्र श्री चन्दालाल
5. जगराम पुत्र श्री चन्दालाल
6. फेफा बाई पत्नि श्री चन्दालाल
7. गोबरीलाल पुत्र श्री तोलाराम

जातिगण मीणा निवासीगण बामली तहसील बारां जिला बारां **(अपीलांटगण)**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां
2. छीतरलाल पुत्र श्री मदनलाल जाति लुहार निवासी बामली हाल निवासी प्रेमनगर द्वितीय ढकनिया स्टेशन के पास कोटा जिला कोटा (राज.) **(रेंस्पोर्डेटगण)**

अपील बनाराजगी इन्तकाल नंबर 666 दिनांक 20.03.2014 ग्राम बामली आदेश तहसीलदार बारां

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

जिला कलैक्टर न्यायालय बारां (राज0)

उपस्थिति :– 1. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री पेरोकार सरकार **(रेस्पाडेन्ट कम–1)**

निर्णय दिनांक 02.03.2022

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बामली तहसील बारां में विवादित भूमि खसरा नं. 511 रकबा 0.38 है0, खसरा नं. 514 रकबा 0.91 है0, खसरा नं. 515 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 रकबा 2.89 है0 पूर्व में दयाराम जेठी पुत्र श्री हनुमान जेठा निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा के नाम दर्ज थी। दयाराम जेठी के स्वर्गवास के पश्चात ग्राम पंचायत बामला ने उक्त भूमि पर बहैसियत वारिस उसके पुत्र श्यामसुन्दर [illegible] के नाम इंतकाल तस्दीक कर दिया। अन्नूबाई की मुत्यु पश्चात अपीलार्थी ने श्याम[illegible] विवादित आराजियात जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.07.1992 [illegible] श्यामसुंदर के पक्ष में प्रमाणित उक्त इंतकाल का स[illegible] में रेफरेंस पेश किया जो स्वीकार किया जाकर श्यामसुंदर के पक्ष में प्रमा[illegible] नामान्तकरण को अम[illegible]रार दिया गया। इसके बाद भी इंतकाल नं. 349 दिनांक 20.[illegible].2003 से उपरोक्त भू[illegible]लाल पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज०)

श्री कजोड़ लुहार निवासी बामला के नाम दर्ज कर दी गई। उपरोक्त भूमि मदनलाल पुत्र श्री कजोड़ लुहार ने श्यामसुंदर से खरीदना बताकर न्यायालय सी0जे0जे0डी0 बारां में एक वाद संख्या 140/92 दायर किया जिसकी अपील मदनलाल बनाम श्यामसुंदर अपील संख्या 18/2000 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बारां में हुई जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज किया। इसके बाद मदनलाल द्वारा वाद 8८, 89 आर.टी. एक्ट का ए0सी0ई0एम0 बारां में हक घोषणा का पेश किया जिसमें मदनलाल ने अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया जिस पर न्यायालय द्वारा उसे खातेदार घोषित कर दिया। तहसीलदार बारां ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) बारां के निर्णय दिनांक 30.12.2000 में इंतकाल नं. 349 दिनांक 20.10.2003 से उक्त भूमि मदनलाल पुत्र कजोड लुहार निवासी बामला के नाम दर्ज कर दी गई। अपीलान्ट को इसकी जानकारी होने पर इंतकाल नं. 349 दिनांक 20.10.2003 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बारां मे पेश की जो प्रकरण संख्या 27/2004 पर दर्ज हुई, जिसमें न्यायालय ने दिनांक 07.11.2006 को निर्णय पारित किया एवं इंतकाल नं. 349 दिनांक 20.10.2003 को निरस्त किया तथा तहसीलदार बारां को निर्देशित किया कि न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 30.12.2000 के विरूद्ध अन्दर 15 योम रेफरेन्स की कार्यवाही करें। इंतकाल नं. 349 जिसे न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा खारिज किया गया उस पर यह नोट लगा हुआ है कि यह भूमि सिवायचक दर्ज है किन्तु इसके बाद भी तहसीलदार बारां ने मदनलाल के फोत होने पर इंतकाल नं. 666 रेस्पो0 क्रम 2 के नाम दर्ज कर दिया। रेस्पो. क्रम 2 का विवादित भूमि पर कब्जा नही होने तथा इंतकाल नं. 666 से भूमि उसके नाम दर्ज होने से वह उक्त विवादित भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियों को करने पर आमादा है। अतः इंतकाल नं. 666 दिनांक 20.03.2014 को निरस्त फरमाया जावें।

उक्त आशय की अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 क्रम 1 जर्ये पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पो0 क्रम 2 लगातार अनुपस्थित रहे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बामली की आराजी खसरा नं. 511, 514, 515 कुल रकबा 2.89 है0 पूर्व में दयाराम पुत्र हनुमान जेठी निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा के नाम दर्ज थी। दयाराम जेठी की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत बामला ने उक्त भूमि पर बहैसियत वारिस उसके पुत्र श्यामसुन्दर व विधवा अन्नूबाई के नाम इंतकाल तस्दीक किया। अन्नू बाई की भी मृत्यु हो गई। अपीलार्थी ने श्यामसुन्दर से विवादित आराजी जर्ये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 08.07.1992 से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। श्यामसुन्दर के पक्ष में प्रमाणित उक्त इंतकाल का राज. सरकार [illegible] मंडल में रेफरेंस प्रस्तुत किया जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ने स्वी[illegible] क[illegible] श्यामसुन्दर के पक्ष में प्रमाणित नामातंरण को अमान्य करार दे दि[illegible] [illegible] अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.ए न्यायालय ए.सी.ई.एम. बारां [illegible] किया जिसमें अपीलांटगण को पक्षकार नही बनाया। न्यायालय ने प्रकरण संख्या 5[illegible]/92 निर्णय दिनांक 30.12.2000 से मदनलाल को खातेदार घोषित कर दिया तथा तहसीलदार बारां ने नामातंरण संख्या 349 दिनांक 30.10.2003 उक्त डिक्री इजराय की पालना में खोलकर तस्दीक कर दिया। जब अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

को जानकारी हुई तो उक्त इंतकाल के विरूद्ध अपील प्रकरण संख्या 27/2004 न्यायालय जिला कलक्टर बारां में पेश की जिस पर न्यायालय ने निर्णय दिनांक 07.11.2006 पारित कर इंतकाल नं. 349 दिनांक 20.10.2003 निरस्त कर दिया, एवं तहसीलदार बारां को ए. सी.ई.एम. बारां के निर्णय दिनांक 30.12.2000 के विरूद्ध रेफरेन्स की कार्यवाही करने के आदेश दिये। इंतकाल नं. 349 जिसे न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ने खारिज किया। उस पर भी यह नोट लगा हुआ है कि भूमि सिवायचक दर्ज है। किन्तु इसके बाद भी तहसीलदार बारां ने मदनलाल के फौत होने पर फौती इंतकाल नं. 666 रेस्पो0 क्रम 2 के नाम दर्ज कर दिया। जो सरासर कानून की अवहेलना है। इंतकाल नं. 666 से उक्त भूमि रेस्पो. क्रम 2 के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वह भूमि को बेचान करने पर आमादा है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम बामली का नामातंरण संख्या 666 दिनांक 20.03.2014 निरस्त फरमावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार बारां द्वारा नामांतरण संख्या 349 खोला जाकर तस्दीक किया गया है तथा खातेदार मदनलाल की मृत्यु पर उसके वारिस रेस्पो. क्रम 2 के नाम फौती नामांतकरण संख्या 666 खोला जाकर तस्दीक किया गया है। जबकि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.11.2006 अनुसार नामान्तरण संख्या 349 निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां के निर्णय दिनांक 30.12.2000 के विरूद्ध रेफरेंस करने के आदेश पारित किये गये थे। अतः अपील खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विवादित आराजीयात का न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय के मुताबिक मदनलाल पुत्र कजोड जाति लुहार निवासी बामली के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया नामांन्तकरण संख्या 349 दिनांक 20.10.2013 न्यायालय हाजा के अपील संख्या 27/04 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2006 से निरस्त किया जा चुका है, तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेंस पेश करने के आदेश दिये गये थे। चूंकि मदनलाल के नाम दर्ज नामान्तरण खारिज हो चुका है। अतः उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में मदनलाल की मृत्यु पर उसके वारिसान के नाम खोला गया नामान्तकरण संख्या 666 दिनांक 20.03.2014 भी निरस्तनीय होना पाया जाता है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर ग्राम बामली का नामांतरण संख्या 666 दिनांक 20.03.2014 निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार, बारां को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा अपील प्रकरण संख्या 27/2004 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2006 का पालना करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)